सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 25, गुरूवार, शाके 1943-दिसम्बर 16, 2021
Agrahayana 25, Thursday , Saka 1943- December 16, 2021

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, दिसम्बर 03, 2021

संख्या एफ.37/भूउप/(54/2019)/2021/133 :-राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42/2 का बनाप 4100.26 वर्गगज (3428.34 वर्गमीटर) भूमि का पट्टा विलेख अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ से व्यवसायिक (होटल-पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 28.01.2020 (दैनिक भास्कर) एवं दिनांक- 28.01.2020 (दैनिक नवज्योति) के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 162वीं बैठक दिनांक 09.09.2020 के प्रस्ताव संख्या 20 में रखा जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ से व्यवसायिक (होटल-पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

<u>उपान्तरण</u>

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवेदित भूमि के सामने स्थित 60‘ सड़क हेतु सड़क के मध्य से 30‘ भूमि सड़क हेतु छोडते हुए शेष भूमि का आवासीय से व्यवसायिक (होटल-पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ करने का निर्णय लिया गया।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1554/04 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक- 03 दिसम्बर, 2021 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के साधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

राज्य स्तरीय समिति की आज्ञा से,
राजेश वर्मा,
निदेशक आयोजना,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

2548
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।